हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–12/2025–लेज शिमला–2 *27 जून, 2025*

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को दिंनाक 25–06–2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 2 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल
प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए ।

2025 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1)	इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
धारा 12 का संशोधन।	2.		हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 12 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
			"परन्तु यदि कुलपति का पद त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा या तो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव या किसी राज्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य को कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नियमित कुलपति की नियुक्ति किए जाने तक कुलपति के कर्तव्यों का अस्थायी रूप से निर्वहन करेगा।"

(शिव प्रताप शुक्ल)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला

तारीखः 25 जून, 2025

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 2 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015).

WHEREAS, the Himachal Pradesh Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:

Short title and commencement. 1. (1) This ordinance may be called the Himachal Technical University (Amendment) Ordinance, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 12. 2. In the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, in section 12, for the proviso, the following shall be substituted namely: -

"Provided that in case the post of Vice-Chancellor falls vacant on account of resignation or otherwise, the State Government may, by order, appoint either the Administrative Secretary of the Technical Education Department or a senior faculty member of any State University as Vice-Chancellor who shall discharge the duties of the Vice-Chancellor temporarily till a regular Vice-Chancellor is appointed as per the provisions of this section."

(SHIV PRATAP SHUKLA)
Governor, Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law)

SHIMLA
THE 25th June, 2025